बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः– **योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 "क" में अतिरिक्त उप कंडिका (iii) के प्रावधान में संशोधन किए जाने के संबंध में।**

योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत छोटे–छोटे योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु पथ निर्माण विभाग के संकल्प–सहपठित ज्ञापांक–1007(एस) दिनांक–07.02.2014 द्वारा बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम–159 "क" में उप कंडिका–i एवं ii के अतिरिक्त नया उप कंडिका (iii) का प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग के अधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा विभागीय रूप से कार्य कराने का उपबंध किया गया है। विभागीय स्तर पर कार्य कराने हेतु सामग्रियों की आपूर्त्ति स्थानीय स्तर पर कोटेशन के माध्यम से तथा मजदूरी का भुगतान उपस्थिति नामावली (PWA Form No.-21) के माध्यम से किया जा रहा है।

भवन निर्माण विभाग में भी कई प्रकार के छोटे–छोटे अत्यावश्यक एवं आकस्मिक कार्य के अतिरिक्त दैनिक संरक्षण के तहत विभिन्न आवासों में आवश्यक कार्य कराना पड़ता है जिसके लिए निविदा आदि करना सम्भव नहीं हो पाता है। उक्त स्थिति में इस प्रकार के छोटे–छोटे कार्य को सम्पादित करने के लिए विभागीय स्तर से कार्य कराने हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता में आवश्यक प्रावधान नहीं होने के कारण काफी कठिनाई होती है। उक्त स्थिति में बिहार राज्य सरकार एतद् बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 "क" के उप कंडिका क (ii) के बाद निम्नलिखित उप कंडिका (iii) भवन निर्माण विभाग के लिए जोड़ती है:–

(iii) "15.00 लाख रूपये से कम राशि की योजनाएँ जिनका कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, विभागीय रूप से भी करायी जा सकती है। विभागीय स्तर पर कार्य कराने हेतु सामग्रियों की आपूर्त्ति स्थानीय स्तर पर कोटेशन के माध्यम से तथा मजदूरी का भुगतान उपस्थिति नामावली (मास्टर रौल) (PWA Form No.-21) के माध्यम से किया जायेगा"।

2. यह अधिसूचना में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक–28.08.2018 की बैठक में मद संख्या–11 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

4/9/18

(चंचल कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– भवन–12/अभि0प्र0(यो0)–02–विविध–21/2018........1422(भ) पटना, दिनांक– 5.9.18

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (दो हार्ड कॉपी एवं सीडी0 के साथ) बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प (संलग्न परिशिष्ट सहित) की जाँच सौ मुद्रित प्रतियाँ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए।

4/9/18

सरकार के प्रधान सचिव

Scanned by CamScanner